मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 9–1/2008/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 29/8/2011

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :– पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय के दावों के भुगतान बावत्।

संदर्भ :– आपका ज्ञाप क्र. 1/टेक्स/(3–ब)/2010/38, दिनांक 31.01.2011

उपरोक्त संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें निर्देशानुसार इस संबंध में चाहे अनुसार ऊर्जा विभाग से प्राप्त अभिमत/मार्गदर्शन की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अनिल भारतीय)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

RNo-356/2011/XX-B

विषय :- पावरलूम उपभोक्ताओं को रियायती दरें पर विद्युत प्रदाय की दरों के भुगतान बाबत।

पूर्व पृष्ठ से :-

पूर्व पृष्ठ 1/एन पर अंकित वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की टीप दिनांक 14.2.2011 के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा विभाग का अभिमत निम्नानुसार है :-

म.प्र. नियामक आयोग भोपाल द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये दिनांक 18 मई, 2010 को जो टैरिफ आदेश जारी किया गया है, के अनुसार पावरलूम उपभोक्ताओं के लिये रू. 3.50 प्रति यूनिट के साथ शहरी क्षेत्र के लिये रू. 55/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू. 15/- प्रति अश्व शक्ति फिक्सड चार्जेस तथा शहरी क्षेत्र के लिये 360 एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 240 यूनिट प्रतिवर्ष मिनिमम चार्जेस घोषित किया गया है। ऊर्जा विभाग भोपाल के आदेश कमांक एफ 5-17/2010/तेरह दिनांक 16.6.2010 द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये सब्सिडी हेतु जारी किये गये आदेश अनुसार पावरलूम उपभोक्ताओं के लिये पेरा क. 2 में 25 अश्व शक्ति तक संबंद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के लिये रू. 1.25 प्रति यूनिट सब्सिडी व इन उपभोक्ताओं से वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाये, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसका आशय यह है कि वास्तविक खपत यदि न्यूनतम प्रभार से कम हो तो उपभोक्ता से न्यूनतम प्रभार न लेते हुये केवल वास्तविक खपत का देयक ही लिया जाना है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम प्रभार एवं वास्तविक खपत के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति भी उद्योग विभाग द्वारा की जाना चाहिये।

इसी प्रकार ग्रामोंद्योग विभाग के ज्ञापन क. एफ 4-10/2002/52-2 दिनांक 1.5.2003 से मंत्रिपरिषद की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक दिनांक 5 अप्रेल, 2003 में लिया गया निर्णय प्रसारित है। निर्णय अनुसार " 25 अश्व शक्ति तक के पावरलूम उपभोक्ताओं के लियि पुनरीक्षित' विद्युत दरों के स्थान पर रू. 2.25 प्रति यूनिट फिक्स चार्ज निरंक, किंतु मीटर किराया, उपकर एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अतिरिक्त देय होगी, रखी जाये। उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में फिक्स चार्जेस की प्रतिपूर्ति भी उद्योग विभाग द्वारा की जाना चाहिये।

विषयः पॉवरलम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय के दावों के भुगतान बाबत्।

पूर्व पृष्ठ से

उक्त आदेशों के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा निम्नानुसार सब्सिडी राशि देय होती है :–

(1) रू. 1.25 प्रति यूनिट विद्युत खपत पर सब्सिडी।

(2) न्यूनतम प्रभार एवं वास्तविक खपत के अंतर हेतु देय राशि की सब्सिडी।

(3) फिक्स चार्जेस की राशि हेतु सब्सिडी

कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु नस्ती मूलतः प्रस्तुत है।

(एम.के.गुप्ता)
अपर सचिव, ऊर्जा

अपर सचिव,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल,दिनांक 13.7.2011

क्रमांक एफ–5–15/2011/तेरह : राज्यशासन एतदद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये दिनांक 23 मई, 2011 को जारी टैरिफ आदेश द्वारा लागू विद्युत दरों में निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों को निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान करता है :–

1. केवल 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 90 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए ।
2. 25 अश्वशक्ति तक संबद्ध भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को 125 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए एवं इन उपभोक्ताओं से वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाए।
3. निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु निम्नानुसार सब्सिडी प्रति यूनिट प्रदान की जाए :–

(1)	स्थायी संयोजन	मीटरयुक्त	मीटर रहित
(अ)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	175 पैसे	175 पैसे
(ब)	301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	205 पैसे	205 पैसे
(स)	500 यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट)	190 पैसे	190 पैसे
(2)	1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्सपावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषि उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय –		
(i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	300 पैसे	300 पैसे
(ii)	301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	350 पैसे	350 पैसे
(iii)	500यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट)	350 पैसे	350 पैसे
(3)	अस्थायी संयोजन	175 पैसे प्रति यूनिट	
(4)	डी.टी.आर. मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय	150 पैसे प्रति यूनिट	
(5)	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एकलबत्ती उपभोक्ताओं को केवल 25 यूनिट प्रतिमाह तक सब्सिडी	290 पैसे	

4. नगरपालिका एवं नगर पंचायत की निम्नदाब सड़कबत्ती योजनाओं हेतु मासिक फिक्स्ड चार्ज पर रू. 95 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाए।

5. उच्चदाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट प्रदान की जाए तथा 190 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए ।

6. उल्लेखित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान दिनांक 1.4.2011 से 31.5.2011 तक की अवधि हेतु पूर्व वर्ष की लागू टैरिफ दरों एवं दिनांक 1.6.2011 से 31.03.2012 तक आयोग द्वारा दिनांक 23.5.2011 को जारी टैरिफ आदेश से लागू दरों पर लागू किया जाए। उल्लेखित श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों तथा उपरोक्त दर्शाई गयी दरों के अंतर की प्रतिपूर्ति म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाए। म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के द्वारा अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित की गयी खपत के अनुसार गणना कर उपरोक्तानुसार सब्सिडी प्रदान की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.के.गुप्ता)
अपर सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

पृ कमांक एफ–5–15/2011/तेरह भोपाल,दिनांक 13.7.2011

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर –राज्य शासन के उपरोक्त आदेशानुसार उल्लेखित उपभोक्ता श्रेणियों की बिलिंग करने हेतु।
4. प्रबंध संचालक,एम.पी.पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि.जबलपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर।
6. सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर ।
7. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।

अपर सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग